13/संख्या-1347/11-क0नि0-7-2014-700 (508)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
निबंधन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 2014

विषय:- **अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रम में स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध**

महोदय,

आप अवगत हैं कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रम में स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के संबंध में कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-79-11-2012-312(98)/2012 दिनांक 05-12-2012 के अनुरूप विक्रय/पट्टा विलेख के निबंधन में लागू स्टाम्प शुल्क से छूट हेतु औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या–141/77-6-13-15(एम)05 दिनांक 04 जून, 2013 द्वारा निम्न दो विकल्प निर्धारित किये गये हैं:-

(1) अनुमन्य प्रयोजन हेतु इकाई विलेख पर नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क अदा कर विलेख निबंधित करा सकती है। यदि निबंधन की तिथि से निर्धारित अवधि में इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो अथवा इकाई द्वारा अनुमन्य प्रयोजन की पूर्ति कर ली गयी हो तो भुगतान किए गये स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सीधे इकाई को कर दिया जायेगा।

अथवा

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) इकाई विक्रय/पट्टा विलेख पर कर एवं निबंधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त करते हुए विलेख का निबंधन करा सकती है। इस हेतु इकाई महानिरीक्षक, निबंधन के पक्ष में निर्धारित अवधि के लिए स्टाम्प शुल्क से छूट के समतुल्य धनराशि की अखंडनीय बैंक गारण्टी भी विलेख निबंधन के समय प्रस्तुत की जायेगी। इकाई द्वारा निर्धारित अवधि में उत्पादन प्रारम्भ होने अथवा प्रयोजन की पूर्ति होने पर महानिरीक्षक, निबंधन द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के प्रमाणक के आधार पर बैंक गारण्टी इकाई को वापस कर दी जायेगी, परन्तु यदि इकाई द्वारा निर्धारित अवधि में उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया अथवा प्रयोजन की पूर्ति न होने की दशा में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र की सूचना के आधार पर महानिरीक्षक, निबंधन बैंक गारण्टी भुनाकर धनराशि को निबंधन विभाग के उपयुक्त लेखा शीर्षक में जमा करायेंगे ताकि छूट का दुरूपयोग न हो।

2- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 04-12-2014 को उद्योग बन्धु की बैठक में उद्यमी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराया गया है एवं अन्य स्रोतों से भी शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की परिसम्पत्तियों के प्रथम आवंटी से परिसंपत्ति के वर्तमान उद्यमी क्रेता के पक्ष में हस्तांतरण के प्रकरणों में इस नीति के अंतर्गत कतिपय उद्यमियों द्वारा शासनादेश संख्या-141/77-6-13-15(एम)05 दिनांक 04 जून, 2013 के अनुरूप प्रथम विकल्प को चुनते हुए उस पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा निर्धारित दरों पर स्टाम्प शुल्क अदा कर दिया गया है अथवा, द्वितीय विकल्प को चुनते हुए यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की दरों पर आगणित प्रतिफल पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के समतुल्य बैंक गारण्टी उपलब्ध करायी गयी है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति में अंकित निहित शर्तों को पूरा किये जाने के उपरांत उक्त स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

3- चूँकि शासनादेश संख्या- क0नि0-7-79-11-2012-312(98)/2012 दिनांक 05-12-2012 एवं इससे पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-क0नि0-5-172/11-2009-500(35)/2000 दिनांक 13 नवम्बर, 2009 के अनुसार यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की परिसम्पत्तियों पर केवल प्रथम लिखत पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की दरों पर

http://shasanadesh.up.nic.in

स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता अनुमन्य की गयी थी, अत: उपरोक्त प्रस्तर में वर्णित हस्तांतरण के प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में प्रभावी सर्किल दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता थी। तदनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे विलेखों को स्टाम्प शुल्क की कमी की आख्या के साथ विभिन्न न्यायालयों में संदर्भित किया गया है, जिनका वाद विचाराधीन है।

4- यहाँ यह दृष्टव्य है कि यदि प्रस्तर-2 में वर्णित संव्यवहार में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति, 2012 के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट अनुमन्य थी तो इन हस्तांतरण के प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए शासनादेश संख्या-141/77-6-13-15(एम)05 दिनांक 04 जून, 2013 के द्वारा प्रदत्त द्वितीय विकल्प के अनुसार स्टाम्प शुल्क से पूरी छूट प्रदान करते हुए मात्र प्रमाणीकरण संस्था के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर से आगणित बाजार मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के समरूप बैंक गारण्टी प्रस्तुत की जानी थी। यदि निर्धारित समय में संबंधित उद्योग द्वारा नियत शर्तों को पूरा कर लिया जाता तो बैंक गारण्टी को उसके पक्ष में अवमुक्त किया जाना था, तथा शर्तों को पूरा न किये जाने की स्थिति में बैंक गारण्टी को जब्त करते हुए स्टाम्प शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी थी।

5- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में जिसमें यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के मूल आवंटी से अन्य इच्छुक उद्यमी के पक्ष में हस्तांतरण के प्रकरण में निष्पादित विलेख पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की दरों पर आगणित प्रतिफल पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, अथवा उसके समतुल्य बैंक गारण्टी उपलब्ध करायी गयी है, और जहाँ पर उद्यमी/वर्तमान पट्टा ग्रहीता के द्वारा शासनादेश संख्या-141/77-6-13-15(एम)05 दिनांक 04 जून, 2013 के द्वितीय विकल्प के अनुसार पूरे स्टाम्प शुल्क के समतुल्य बैंक गारण्टी प्रदान करते हुए स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त की जा सकती थी, उन प्रकरणों में उनसे, उनके द्वारा प्रश्नगत विलेख पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर के आधार पर आगणित स्टाम्प शुल्क से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की दरों पर प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की कमी के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी प्राप्त कर ली जाए। संबंधित उद्यमी द्वारा उपरोक्तवत् बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायालय में तदनुसार आवेदन प्रस्तुत कर दिया जाए, जिसके क्रम में न्यायालय द्वारा स्टाम्प शुल्क की कमी के वादों को समुचित रूप से स्टाम्पित अवधारित करते हुए वादों को निस्तारित कर दिया जाएगा।

6- नियत समय में शासनादेश के अंतर्गत वर्णित शर्तों को पूरा किये जाने पर उसके द्वारा प्रदत्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि को शासनादेश संख्या- 141/77-6-13-15(एम)05 दिनांक 04 जून, 2013 के प्रस्तर-4(1) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि भुगतान कर दी जाएगी तथा बैंक गारण्टी को अवमुक्त कर दिया जाएगा। उक्त शासनादेश में नियत शर्तों को पूरा न किये जाने की स्थिति में बैंक गारण्टी को जब्त करते हुए स्टाम्प शुल्क की कमी की धनराशि की प्रतिपूर्ति कर स्टाम्प के खाते में जमा कराया जाएगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
4. समस्त उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in